प्रदेश में 47 वर्षों के बाद विकसित होंगे एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र

इकाइयों को दो से तीन हजार रुपये वर्ग मीटर की दर से मिलेंगे भूखंड

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : राज्य में 47 वर्षों बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम औद्योगिक आस्थान प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है। इसके अनुसार एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना के लिए ई-नीलामी के जरिये सरकार भूखंडों का आवंटन करेगी। पूर्वांचल व बुंदेलखंड के जिलों के लिए सबसे कम दो हजार रुपये, मध्यांचल के लिए 2,500 रुपये और पश्चिमांचल के लिए तीन हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखंडों की दर निर्धारित की गई है।

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि वर्ष 1978 के बाद से राज्य में एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों के लिए कोई और भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया गया है। सरकार ने एमएसएमई के लिए विभिन्न जिलों में 765 एकड़ भूमि बैंक विकसित किया है। यहां पर सड़क, सीवरेज, पानी व बिजली सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा कर भूखंडों को ई-नीलामी के जरिये आवंटित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 1978 से लेकर 2022 तक के सभी शासनादेशों को निरस्त कर दिया है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त भूखंडों व शेड की ई-नीलामी की जाएगी। आयुक्त एवं उद्योग निदेशक प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। भूखंडों के आवंटन के बाद पट्टे की दर में प्रति वर्ष पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी। आवेदकों को 10 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। भूखंडों व शेड का पट्टा अनिश्चितकाल के लिए दिया जाएगा। आवासीय व वाणिज्यिक भूखंड व शेड के लिए न्यूनतम दर व अन्य दरें औद्योगिक भूखंड की तुलना में दोगुणा होंगी। इनका आवंटन अगले वर्ष से किराए के आधार पर होगा। किराया समय से न जमा कराने पर 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा। राज्य में करीब 96 लाख एमएसएमई की इकाइयां हैं, जिनमें दो करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

कैबिनेट के अन्य फैसले >> 10 व 11

लखनऊ में गुरुवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ● सूचना विभाग

- विभिन्न जिलों में बनाया गया है 765 एकड़ का भूमि बैंक
- ई-नीलामी के जरिये किया जाएगा भूखंडों का आवंटन

भू-उपयोग में परिवर्तन

आवंटियों को भू-उपयोग परिवर्तन की भी सुविधा दी जाएगी। आयुक्त एवं निदेशक भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति देंगे। लीज डीड कराने पर स्टांप शुल्क का निर्धारण स्टांप एवं पंजीयन अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार तय किया जाएगा।

एससी/एसटी को आरक्षण

एमएसएमई के भूखंडों के आवंटन में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। पट्टे की शर्तों का अनुपालन न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

जर्जर एडेड स्कूलों की मरम्मत होगी आसान

प्रदेश के जर्जर भवनों वाले सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। संशोधित नियमों के तहत अब स्कूल प्रबंधक सिर्फ अपनी ओर से ही नहीं, बल्कि सांसद निधि, विधायक निधि, सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक दायित्व), पुरातन छात्र, समाजसेवी संस्थाएं या प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी मरम्मत कार्य के लिए 25 प्रतिशत तक का योगदान जुटा सकेंगे। पहले अलंकार योजना में भागीदारी के लिए स्कूल को मरम्मत की लागत का 25 प्रतिशत अग्रिम जमा करना अनिवार्य था। अब यह राशि सांसद या विधायक निधि से मिलती है तो प्रबंधन को 25 प्रतिशत अग्रिम जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए जनप्रतिनिधि से सहमति पत्र लेना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि 25 प्रतिशत राशि उनकी निधि से मरम्मत कार्य के लिए सुरक्षित कर दी गई है। संबंधित >> 10